मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक भोपाल, दिनांक २५ जून, 2013

प्रति,

समस्त पदाभिहित अधिकारी,
समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी,
समस्त कलेक्टर (द्वितीय अपीलीय अधिकारी)

विषयः–सेवा क्रमांक 6.1–स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना।

संदर्भः–लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–308–05–01–2010 दि. 24.09.2011 तथा सा.प्र.विभाग का ज्ञाप क्र.सी–3–17–1–3–2011 दि20.12.2012 तथा दि.10.12.2012

इस सेवा का उद्देश्य आम जनता को विभिन्न प्रयोजनों जैसे शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिला, छात्रवृत्ति आदि के लिये स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाना है।

1. <u>पात्रता</u>

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पात्रता के लिये निम्न मे से किसी एक मापदण्ड की पूर्ति आवश्यक होगी–

1.1 आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य मे स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरन्तर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो (मूक, बधिर, अन्ध तथा अशिक्षित के प्रकरण में शिक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा)।

1.2 आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरन्तर निवासरत हो।

1.3 आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरन्तर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल संपत्ति धारित करता हो/उद्योग/व्यवसाय करता हो।

1.4 आवेदक राज्य शासन अथवा शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था/निगम/मण्डल /आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो।

परन्तु राज्य शासन अथवा राज्य शासन के अधीन संस्था/निगम/मण्डल के ऐसे कार्यालय जो मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित है, में नियोजित (Employed) कर्मचारी को मापदण्ड क्रमांक (1.1) अथवा (1.2) अथवा (1.3) में से किसी एक की पूर्ती करना आवश्यक होगा।

1.5 आवेदक केन्द्र शासन का, मध्यप्रदेश की सीमा में, 10 वर्ष से सेवारत शासकीय सेवक हो।

1.6 आवेदक अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आबंटित अधिकारी हो।

1.7 आवेदक मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहेम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो।

निरंतर 2

1.8 भूतपूर्व सैनिक जिन्होनें मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक निवास किया हो या उसके परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं, को मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी किया जाय। इसकी पुष्टि सैनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण पत्र के आधार पर कीजाय।

उपरोक्त कण्डिका में **"परिजन"** से तात्पर्य है, संबंधित भूतपूर्व सैनिक की पत्नी अथवा पति, या माता अथवा पिता।

2. <u>आवश्यक दस्तावेज–</u>

2.1 प्रपत्र–1 में आवेदन पत्र

आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा प्रपत्र–2 में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। शपथ–पत्र में इस परिपत्र की पात्रता में वर्णित मापदण्डों में से किसी एक अथवा अधिक, जिनकी भी वह पूर्ति करता हो का विवरण विस्तार से अंकित किया जायेगा।

3. <u>शुल्क–</u>

3.1 प्रमाण–प्रत्र प्राप्त करने हेतु शुल्क सामान्य वर्ग हेतु रूपये 20/– तथा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा रूपये 10/– देय होगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा वैध गरीबी रेखा प्रमाण–पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किये जाने पर यह सेवा निःशुल्क प्रदाय की जावेगी।

3.2 शुल्क का भुगतान जहां आवेदन–पत्र जमा किया जाएगा वहीं नगद भुगतान होगा तथा आवेदक को प्राप्ति रसीद दी जाएगी। पदाभिहित कार्यालय में प्रांप्त राशि शासन के कोष में जमा की जाएगी। लोक सेवा केन्द्र में प्राप्त होने वाली राशि जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी के पास जमा की जाएगी।

4. <u>सेवा प्राप्ति की प्रक्रिया–</u>

4.1 स्थाई निवासी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र संलग्न प्रपत्र–एक में संबंधित लोक सेवा केन्द्र अथवा पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार /अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यलय में प्रस्तुत किया जायेगा।

4.2 आवेदन–पत्र जिस कार्यालय में जमा किया जायेगा वहीं से प्रमाण–पत्र प्राप्त होगा। यदि आवेदन–पत्र लोक सेवा केन्द्र में जमा किया जाता है तो आवेदन–पत्र एवं संलग्न दस्तावेज ऑनलाईन पदाभिहित अधिकारी को भेजे (Forward) जायेंगे।

4.3 आवेदक को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही उसे अभिस्वीकृति लोकसेवा गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 5 (1) के अंतर्गत प्रपत्र–चार में प्रदाय की जावेगी। अभिस्वीकृति का प्रारूप संलग्न है (प्रपत्र–चार)। यदि पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो पावती में आवेदन के निराकरण की समय–सीमा बताई जायेगी और यदि आवेदन अपूर्ण है तो जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये है, उनका उल्लेख किया जायेगा, परन्तु समय–सीमा नहीं बताई जावेगी।

4.4 आवेदन पत्र लेते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर उल्लेख भी किया जावे ताकि आवश्यकतानुसार उसे एसएमएस एलर्ट किया जा सके।

निरंतर 3

4.5 पदाभिहित अधिकारी को Online प्राप्त आवेदन–पत्र Digital हस्ताक्षर युक्त प्रमाण–पत्र आवेदक को प्राप्त होगा यदि आवेदक स्याही से हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र चाहता है तो इसके लिये पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।

4.6. आवेदन का पंजीयन मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवदेन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम–16 में निर्धारित पंजी में किया जावेगा। (प्रपत्र–पांच) एक ही आवेदन को पृथक–पृथक पंजियों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा।

4.7. संबंधित पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार अपनी–अपनी अधिकारिता में) निर्धारित प्रपत्र–तीन में स्थाई निवास प्रमाण–पत्र 7 कार्य दिवस में जारी किया जायेगा।

5.1 आवेदक के पक्ष में विधिवत रूप से जारी मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी प्रमाण–पत्र स्थाई होगा। यदि आवेदक अन्य राज्य का स्थाई निवासी हो जाता है अथवा स्थाई निवासी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेता है तो मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी प्रमाण–पत्र स्वयमेव निरस्त माना जाएगा।

5.2 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी की पत्नी एवं उसके अवयस्क पुत्र–पुत्री (पति के जीवित न होने / तलाक हो जाने पर पत्नी को स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र जारी होने की स्थिति में उनके अवयस्क पुत्र–पुत्री) स्वतः ही मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी होंगे। मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पत्नी एवं अवयस्क बच्चों के लिये पृथक से स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

5.3 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी व्यक्ति (माता–पिता) के पुत्र–पुत्री के वयस्क होने पर उनके नाता/पिता के स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र की मूल प्रति से सत्यप्रति का सत्यापन कर ऐसे पुत्र/पुत्री के वयस्क होने पर उनके पक्ष में मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र जारी किया जा सकेगा।

5.4 मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र किसी जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण- पत्र की जांच में विचारार्थ साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगा।

6. स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र जारी होने के पश्चात यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है और उसमें वर्णित तथ्य/संलग्न अभिलेख प्रथम दृष्टया आवेदन/शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यों से अलग हटकर आवेदक के स्थानीय निवासी नहीं होने के बारे में जानकारी दर्शित करते है तो आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्राधिकृत अधिकारी/ स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र/आपत्ति निरस्त कर सकेगा।

7. सुनवाई/जांच पश्चात् शपथ–पत्र में वर्णित तथ्य असत्य पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी शपथ पत्र प्रस्तुति के परिणामस्वरूप शपथकर्ता के विरूद्ध अपेक्षित विधिक कार्यवाही करेगा।

8. स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र स्थाई होने से प्रकरण संधारण अवधि 20 वर्ष रहेगी। प्रकरण में मूलतः शपथ–पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न रखा जायेगा।

9. आवेदक के स्थान पर यदि कोई अन्य व्यक्ति प्रमाण–पत्र लेने आता है तो उसे आवेदन–पत्र को अभिस्वीकृति दिखाना अनिवार्य है।

10. आवेदन अस्वीकृत होने पर परिशिष्ट–6 में आवेदक को कारण सहित अवगत कराया जायेगा।

निरंतर 4

11. अपील

निर्धारित समयावधि में प्रमाण–पत्र जारी न होने पर प्रथम अपील 45 दिवस में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को की जावेगी जिसका निराकरण 15 कार्य दिवसों में किया जायेगा। यदि निर्धारित समयावधि में अपील का निराकरण नहीं किया जाता है तो द्वितीय अपील 60 दिवस में कलेक्टर को की जा सकेगी।

12. अन्य

स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र के संबंध में ज्ञाप क्र. सी–3/17/1/3/2011, दिनांक 22.12.2011 एवं ज्ञाप क्र. सी–3/17/1/3/2012, दिनांक 10.12.2012 द्वारा जारी किये गये निर्देश एतद् द्वारा निरस्त किये जाते है।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक भोपाल, दिनांक २९ जून, 2013

प्रतिलिपिः–

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रपत्र – एक

स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

नायब तहसीलदार/तहसीलदार,
तहसील .....
जिला .....

विषयः– स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत्।

महोदय/महोदया,

मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है। मेरे द्वारा संपादित शपथ–पत्र संलग्न है। यह निवेदन है कि मुझे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें–

1. मेरा नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. जन्मतिथि : .....
4. निवास का पूरा पता : मकान नं. ..... मोहल्ला .....
   ग्राम/शहर का नाम .....
   तहसील ..... जिला .....
5. * मेरी पत्नी का विवरण : नाम ..... आयु ..... वर्ष .....
6. * मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्रियों का विवरण :(1) नाम ..... पुत्र/पुत्री, आयु ..... वर्ष
   (2) नाम ..... पुत्र/पुत्री, आयु ..... वर्ष
   (3) नाम ..... पुत्र/पुत्री, आयु ..... वर्ष

संलग्न– शपथ पत्र।

मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ–पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।

हस्ताक्षर –
आवेदक का नाम –

* लागू न होने की स्थिति में काट दें/वर्णित न करें।

स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र
शपथ–पत्र

फोटो
अभि प्रमाणित

मैं ..... आत्मज/पति श्री ..... आयु लगभग ..... वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि –

1. मैं वर्तमान में ..... में निवासरत हूं।
2. मेरी पत्नी का नाम श्रीमती ..... एवं उम्र (लगभग) ..... वर्ष है।
3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री – 1. श्री / कु. ..... आयु (लगभग) ..... वर्ष
   2. श्री /कु. ..... आयु (लगभग) ..... वर्ष
4. (यहां मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी–3/17/1/3/2011, दिनांक 20.12.2011 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन–जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें।)

1. मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबर ..... मोहल्ला ..... ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... में वर्ष ..... में पैदा हुआ/हुई हूं। मैंने संस्था ..... ग्राम/शहर ..... तहसील ..... जिला ..... में वर्ष ..... से वर्ष ..... तक शिक्षा प्राप्त की है।
2. मैं मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला ..... शहर ..... तहसील ..... जिला ..... में विगत 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हूं।
   (आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हो। यदि 15 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहां–कहां निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)
3. मैं मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्ष से ग्राम/मोहल्ला ..... शहर ..... तहसील ..... जिला ..... में निरंतर निवासरत हूं और मेरे नाम ग्राम/शहर में सर्वे नम्बर ..... रकबा ..... का भूखण्ड/मकान है। मैं ..... उद्योग/व्यवसाय करता हूं। मेरा टिन नम्बर/पेन नम्बर ..... है।
4. मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम ..... कार्यालय का नाम ..... विभाग का नाम ..... के पद पर पदस्थ हूं/ से सेवानिवृत्त हुआ हूं।
5. मैं, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित ..... नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में ..... पद पर/ ..... कार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूं।
   (कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें)
6. मैं, केन्द्र शासन के विभाग ..... में ..... के पद पर ..... कार्यालय ..... तहसील ..... जिला ..... के पद पर 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूं।
   (कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)
7. मैं, अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष .....) अधिकारी हूं। ..... पद पर ..... कार्यालय/मंत्रालय ..... में पदस्थ हूं/से सेवानिवृत्त हुआ हूं।
   (कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम।)
8. मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक पद ..... पदनाम पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूं।
   (पूर्ण विवरण दिया जाये।)
9. मैं, भूतपूर्व सैनिक मध्यप्रदेश में 15 वर्षों तक (अवधि.....) निवास किया है/अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं।

हस्ताक्षर
शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं ..... आत्मज/पति श्री ..... आयु ..... वर्ष निवासी ..... सत्यापन करता/करती हूं कि शपथ–पत्र की कंडिका ..... लगायत में ..... उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है।

सत्यापन आज दिनांक ..... को स्थान ..... में किया गया।

हस्ताक्षर
शपथग्रहिता

(जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख शपथ पत्र में किया जाये।)

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार
टप्पा/तहसील ..... जिला.....

प्र.क्र. वर्ष ..... दिनांक .....

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

यहां आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो लगाया जाए जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. .....
पिता/पति ..... निवासी .....
तहसील ..... जिला ..... (मध्यप्रदेश),
राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील ज्ञाप दिनांक ..... में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक ..... की पूर्ति करने फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

2.* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक ..... दिनांक ..... के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी*/अवयस्क बच्चे* जिनका विवरण नीचे वर्णित हैं, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं–

टीप:– यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।
(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के आधार पर जारी)

ह. तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसील .....
जिला .....

* लागू न होने पर काट दें।

- यह प्रमाण–पत्र यदि डिजिटल हस्ताक्षर युक्त है तो उसे भी मान्य किया जायेगा।

प्रपत्र–चार

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 5 (1) के अंतर्गत अभिस्वीकृति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता	–	_____ _____ _____
1. आवेदक का नाम एवं पता	–	_____ _____ _____
2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक	–	_____
3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है	–	_____ _____
उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं	–	_____ _____ _____
4. निश्चित की गई समय–सीमा की आखिरी तारीख	–	_____ _____

स्थान.....
दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोटः– आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु–5 में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 10 के अंतर्गत

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम .....

माह ..... वर्ष .....

क्रमांक (1)	आवेदक का नाम एवं पता (2)	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है (3)	निश्चित की गई समय–सीमा की आखिरी तारीख (4)	आवेदन स्वीकृत/ निरस्त (5)	पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण (6)

अस्वीकृत आवेदन का प्रारूप

1. आवेदक का नाम ....
2. सेवा का नाम ....
3. आवेदन का दिनांक ....
4. आवेदन अस्वीकृति का आधार ....
   (संक्षिप्त में) ....
   ....
5. अपीलीय अधिकारी का नाम जिसे अपील की जा सकती है–

   1. **प्रथम अपील**–अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व 45 दिवस में।
   2. **द्वितीय अपील**– जिला कलेक्टर/अपर कलेक्टर 60 दिवस में।

पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम.............................